

SPARSH Pension Correction / Grievance / Arrears

दस्तावेज़ प्रकार : पत्र / नोटिस · तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

SPARSH (रक्षा पेंशन प्रशासन प्रणाली) में किसी भूतपूर्व सैनिक या परिवार की पेंशन-समस्या — डेटा/प्रोफ़ाइल सुधार, गलत पेंशन-गणना, या बकाया दावा (जैसे OROP संशोधन के बाद) — का समाधान यह टूल विसंगति पहचानकर, सही हक निकालकर, और SPARSH व PCDA चैनल हेतु शिकायत तैयार कर करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

SPARSH रक्षा-पेंशन समस्या — डेटा-सुधार, गलत गणना या बकाया — शिकायत व गणना सहित हल करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

पहचानी विसंगति, गणना किए सही हक और तैयार शिकायत का उपयोग SPARSH पोर्टल पर सुधार उठाने, सेवा-केंद्र/PCDA चैनल से आगे बढ़ाने, और बकाया (जैसे OROP संशोधन के बाद) की पैरवी के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

SPARSH पोर्टल व PCDA (पेंशन), प्रयागराज / संबंधित अभिलेख कार्यालय ; रक्षा पेंशन-वितरण चैनल।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

SPARSH पोर्टल पर पेंशन-विवरण व समर्थक सेवा/PPO दस्तावेज़ सहित शिकायत/सुधार उठाएँ, या SPARSH सेवा-केंद्र से ; बकाया गणना व जारी हेतु PCDA से अनुवर्ती करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

रक्षा-पेंशन सलाहकार या भूतपूर्व-सैनिक कल्याण (ZSB/राज्य सैनिक बोर्ड) सहायक — सही हक, OROP तालिका व बकाया की पुष्टि के लिए।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

हक रैंक, अर्हक सेवा व लागू OROP/वेतन-आयोग तालिका पर निर्भर ; गलत प्रोफ़ाइल या बैंक विवरण पेंशन में देरी करता है। बकाया दावा उठाने से पहले सही तालिका व PPO आँकड़े पुष्ट करें।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।